आमने-सामने

हमारा शरीर, हमारा हक़

गौतम भान

14 जून 2012, बृहस्पतिवार को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट पिंकी प्रमाणिक को एक 'पुरुष' होने और बलात्कार करने के आरोप में पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। पिंकी की गिरफ़्तारी के समय वहां कोई महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। 26 दिनों तक पिंकी को बिना ज़मानत जेल के मर्दाने वार्ड में रखा गया।

हांलाकि शुरू में पिंकी ने लिंग परीक्षण करवाने से इंकार कर दिया था पर 16 जून को ज़बरदस्ती एक निजी क्लीनिक में पुलिस ने उसका लिंग परीक्षण करवाया और प्रेस कांफ्रेंस में घोषित किया कि पिंकी एक पुरुष है। इस परीक्षण के दौरान भी कोई महिला पुलिस, राज्य द्वारा नियुक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ, परामर्शदाता या अंतःस्रावी विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। कुछ दिनों बाद पिंकी का दोबारा लिंग परीक्षण किया गया जिसका नतीजा 'अनिश्चित' पाया गया। फिर कुछ दिनों बाद एक तीसरा परीक्षण किया गया जिसमें पिंकी के हाथ-पांव बांध दिए गए थे। इस परीक्षण के नतीजे से पता चला कि पिंकी के शरीर में XY गुणसूत्र थे जो अधिकतर पुरुषों में पाये जाते हैं और उसके अलावा 'स्त्री जननांग नालिका व बाहरी जननेंद्रिय' भी थे। इस लेख के लिखने के समय पिंकी को जमानत पर छोड़ दिया गया था।

जिस मामले में 'तथ्य' जटिल और विवादस्पद दोनों हों वहां हम एक ऐसी बात से शुरूआत करते हैं जो अविवादित होनी चाहिए- पिंकी प्रमाणिक कहती है कि वह एक स्त्री है। वह एक स्त्री की तरह रहती है, उसी तरह प्रतियोगिता में भाग लेती है और यही उनकी पहचान है। उसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्थान विशेषकर कानून या चिकित्सा शास्त्र को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि उसकी लैंगिक पहचान क्या है। और इस बात का उसके गुणसूत्रों, हारमोन और शारीरिक बनावट से कोई लेना-देना नहीं है। जांच-पड़ताल शुरू करने के पहले उसकी इस औरताना पहचान को स्वीकारा जाना ज़रूरी था, बगैर इस बात की परवाह किए कि उनके शरीर, स्वभाव, कपड़ों और रूप-रंग के आधार पर हम क्या सोचते हैं। पुलिस द्वारा उसके अधिकारों के हनन की फेहरिस्त लम्बी है- पुरुषों की जेल में गिरफ़्तारी के दौरान बंद रखना; पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक और यौनिक प्रताड़ना; लिंग परीक्षण के समय उसकी फ़िल्म बनाना और फिर उस फ़िल्म के एमएमएस का लीक होना; अस्पताल में ज़बरदस्ती उसका लिंग परीक्षण जो बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से किया गया और जिसे पुलिस ने ज़मानत की शर्त के रूप में उसे करवाने को बाध्य किया। यह एक अच्छी खबर है कि पश्चिमी बंगाल में मानव अधिकार आयोग, साइबर क्राइम ब्यूरो और कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मानव अधिकार हनन के तहकीकात की मांग रखी है।

फिर भी हमें रुककर यह सोचना चाहिए कि पिंकी के अधिकारों का हनन क्यों हुआ? पिंकी का मामला समाज और राज्य के साथ हमारे बुनियादी संघर्ष का अंकन है। बतौर समाज हम अपने से फ़र्क़ या कम गरिमामय समझे जाने वाले जाति, धर्म, लैंगिक अथवा यौनिक फ़र्क़ वाले शरीर के परीक्षण, पड़ताल, अंकन, सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करने, जांच, बहस और निर्णय का मुद्दा बनाने की इजाज़त देते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं- बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला का यौन चरित्र जांचने के लिए जननांग में दो उंगली डालने वाला परीक्षण; पुलिस हिरासत में हिजड़ों के साथ यौन हिंसा; भारत के शहर-गांवों में दलित औरतों व पुरुषों को निर्वस्त्र घुमाने की सज़ा; या युवा मुसलमान लड़कों के आंतकवादी होने का शक़ होने पर पुलिस प्रताड़ना को जायज़ करार देना आदि। पिंकी से भी पूरे देश ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि वह कौन है बल्कि उसे यह पूछा गया कि वह 'क्या' है- एक सार्वजनिक तमाशा जिसने उसे कानून की ज़रूरत के अनुसार वर्गीकृत की जाने वाली वस्तु बना दिया।

यह स्पष्ट है कि मामला कानून और चिकित्सा विज्ञान की बहसों के बीच ही आगे बढ़ेगा। "वह क्या है" प्रश्न का उत्तर "लिंग-परीक्षण" से दिया जाएगा और इस बहस-परीक्षण के बीच एक औरत की तरह बितायी पिंकी की ज़िंदगी, महज़ गुणसूत्रों, हारमोन के स्वभाव, जो जैविक लिंग को 'पुरुष' व 'स्त्री' की कसौटी पर जांचते हैं के आधार पर नज़रअंदाज़ कर दी जाएगी। हांलाकि अमरीकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल के अनुसार लिंग परीक्षण को "कठिन, मंहगा और अधिकतर गलत" माना गया है। इस शोध के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों के हारमोन व जननांग विकास में बहुत अंतर होता है। यह भी याद रखना ज़रूरी होता है कि यह विज्ञान भी पूरी तरह सटीक नहीं है। पिंकी का लिंग परीक्षण इस बात का प्रमाण है।

कानून, सामाजिक नियमों और खुद अपने आंतरिक खौफ़ के चलते हम 'स्त्री' और 'पुरुष' को अलग करने वाली सीमाओं को सुरक्षित और कायम रखने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारे जीवन की सच्चाइयां बार-बार हमें दिखाती-समझाती हैं कि जैविक लिंग को XX या XY में वर्गीकृत करना आसान नहीं है। हारमोन को गुलाबी-नीली कतार में नहीं बांट सकते और स्त्री-पुरुष हमेशा 'नियमों' के अनुसार ज़नाने व मर्दाने नहीं बने रहते। कुछ लोग जैविक रूप से स्त्री-पुरुष दोनों होते हैं। लैंगिक पुनर्आबंटन से जैविकी को बदला जा सकता है ठीक उसी तरह जैसे हृदय प्रत्यारोपण या पेस-मेकर के ज़रिए दिल को दोबारा ठीक से धड़काया जा सकता है। हमारी लैंगिक पहचान हमारे जैविक लिंग से स्वायत्त हो सकती है। तो फिर हमें अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए: "वह कौन है"— इस प्रश्न के उत्तर में पिंकी किस प्रकार का उत्तर दे सकती है? हम उसके किस उत्तर को स्वीकार करने को तैयार हैं।

हमने समाज में लैंगिक फ़र्क़ और तरलता को स्वीकारने के लिए संघर्ष किया है जिसके नतीजतन हमें ऐसे कानूनी नियम और भाषाएं मिली हैं जो सभी फ़र्क़ों को उन वर्गों में सीमित करने को बाध्य करती हैं जिन्हें हम समझते हैं। हाल ही में कुछ सरकारी दस्तावेज़ों के लैंगिक वर्गक्रम में "अन्य" का शामिल होना एक छोटी सी सकारात्मक शुरूआत है जो इस बात का संकेत है कि राज्य लैंगिक जटिलताओं को समझने का प्रयास कर रहा है।

हमें आर्जेन्टीना से भी काफी कुछ सीखना होगा। वहां जैविक लिंग से अलग होकर लोगों को अपनी लैंगिक पहचान चुनने की आज़ादी है। हमारे कानून कैसे होंगे अगर हम चाहें कि वे लैंगिक तरलता और पहचानों को समाहित करने की कोशिश करें? पिंकी का केस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अभी बहुत दूर तक जाना है और जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक "अलग" समझे जाने वाले समूह अरक्षित ही रहेंगे। और यह सिर्फ़ हम ही मानते हैं, क्योंकि पिंकी तो खुद को एक औरत मानती है- अंतर-लैंगिक या पार-लिंगी नहीं।

पिंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मैं यह स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि इन आरोपों की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। पर जांच उसके व्यवहार की होनी चाहिए व्यक्तित्व की नहीं। पिंकी के साथ जांच के दौरान होने वाले कार्यवाहिक हनन और दुर्व्यवहार को मद्देनज़र रखते हुए यह स्पष्ट है कि पिंकी के मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष व वैध नहीं रही है।

इस पूरे मामले से हम न्यायसंगत जांच, लैगिंक रूप से भिन्न नागरिकों के हक़ों तथा सबके लिए गोपनीयता और सम्मान की अहमियत से संबंद्ध महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। पिंकी के मामले की जांच-पड़ताल आगे बढ़ने के साथ-साथ ही हमें न्याय के इस बुनियादी प्रश्न को याद रखना होगा- अगर पिंकी ने वास्तव में कोई हिंसा या अपराध किए हैं तो उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए। पर तब तक एक समान नागरिक, जिसकी अपनी एक अलग लैंगिक पहचान है की हैसियत से इंसाफ़ पाने के उसके अधिकार की सुरक्षा राज्य और हम सभी को मिलकर करनी होगी।

गौतम भान *यौन अधिकार कार्यकर्ता हैं।*